कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक : 1113 / W-30 / 1523 दिनांक : 30/11/2024

दिनाँक 11.11.2024 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त :–

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो की प्रगति हेतु दिनांक 11.11.2024 को कलेक्ट्रेट सभागार, लखनऊ मे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता मे आहूत बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री अजय जैन, मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
2. श्री अजीत कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, लखनऊ।
3. श्री मनोज कुमार मौर्य, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. श्री विवेक सिंह, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. श्री पवन पाण्डे, जूनियर इजीनियर (वि0/यॉ0), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
8. श्री शिवशंकर कनौजिया, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
9. श्री मो0 ताबिश, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
10. श्री हरपाल सिंह, जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
11. श्री सुमित भटनागर, सी0बी0 एण्ड टी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
12. श्री आर0के0 चौहान, ए0जी0एम0, मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
13. श्री हरि कृष्णा, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद।
14. श्री प्रवीण ठाकरे, डी0टी0एल0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
15. समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।

बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार हैं–

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ हेतु नामित फर्म मै0 एन0सी0सी0लि0, हैदराबाद द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना से असंतृप्त 669 नग राजस्व ग्रामों के संतृप्तिकरण हेतु कुल 376 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 04 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 13 नग पेयजल योजनाएं जिनमे 02 ग्राम पचायत सम्मिलित कर योजनाए बनायी गयी है, जिस ग्राम पंचायत मे शिरोपरि जलाशय नही बनाया गया है, उस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा कार्य प्रारम्भ नही करने दिया जा रहा है, जिस कारण पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। 04 नग पेयजल योजनाएं मे से 01 नग पेयजल योजना जिसपर नलकूप बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, परन्तु उक्त भूमि पर कोर्ट केस है, जिसके क्रम मे अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अन्य दूसरी भूमि प्राप्त कर नये ट्यूबवेल की बोरिंग का कार्य पूर्ण करते हुए योजना को पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। अवशेष 03 नग पेयजल योजना पर भूमि विवाद के निस्तारण हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से वार्ता कर विवाद का निस्तारण कराने की कार्यवाही पूर्ण की जाए, साथ ही जिन 13 नग पेयजल योजनाए जिनमे ग्राम प्रधानों द्वारा कार्य नही करने दिया जा रहा है, उनकी अलग से बैठक बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के कार्यो मे बाधा न उत्पन्न किये जाएं।

(कार्यवाही – मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि 441 नग नलकूप के सापेक्ष 439 नग कार्य पूर्ण, 441 नग पम्प गृह के सापेक्ष 434 नग कार्य पूर्ण, 380 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 109 नग कार्य पूर्ण, वितरण प्रणाली 4940 कि0मी0 के सापेक्ष 4815 कि0मी0 कार्य पूर्ण, 218809 नग गृह संयोजन के सापेक्ष 201057 नग कार्य पूर्ण, 669 राजस्व ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापना के कार्यों के सापेक्ष 507 राजस्व ग्राम में कार्य पूर्ण एवं 669 नग राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण के सापेक्ष 137 नग राजस्व ग्राम ही सत्यापित हो सके है।

उपरोक्तानुसार यह प्रतीत होता है कि शिरोपरि जलाशय, सड़क पुर्नस्थापना एवं हर घर जल प्रमाणीकरण के कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा काफी शिथिलता बरती गयी है। काफी समय से क्षतिग्रस्त पड़े हुए मार्गों की सूची उपलब्ध कराते हुए 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक पुर्नस्थापित कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए। इसके साथ-साथ ऐसे मार्ग जो पुर्नस्थापित करा दिए गए है किन्तु उनकी गुणवत्ता प्रथम दृष्टया संतोषजनक नही पायी गयी उनकी भी सूची उपलब्ध कराते हुए 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक पुर्नस्थापित करा दिए जाए। 15 दिवस का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त 16 वे दिन से टी0पी0आई0 उपरोक्त समस्त क्षतिग्रस्त मार्गों का स्थलीय सत्यापन करते हुए एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट/आख्या प्रस्तुत करेगी। यदि निर्धारित समय में फर्म द्वारा समस्त सड़क पुर्नस्थापना के कार्य नही कराए जाते है तो फर्म के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता के द्वारा कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि 669 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 584 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु मात्र 225 नग राजस्व ग्रामों में ही क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है, जो संतोषजनक नही है। फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि 15 दिवस के अन्दर समस्त योजनाओं पर क्लोरीन प्लान्ट स्थापित करते हुए क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये। यदि पानी की गुणवत्ता के दृष्टिगत किसी व्यक्ति को पानी पीने से कोई बीमारी या अन्य घटना होती है तो फर्म के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 380 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 109 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण हुआ है। अवशेष शिरोपरि जलाशय का कार्य विभिन्न स्तरो पर है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों को पूर्ण करने हेतु 1200 नग श्रमिको की प्रतिदिन आवश्यकता है, परन्तु फर्म द्वारा कार्य स्थल पर 450 नग श्रमिक ही लगाये गये है। इस प्रकार 02 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शिरोपरि जलाशय के कार्य न पूर्ण होना, कार्य स्थल पर सामग्री/मैन पावर की कमी को दर्शाता है। शिरोपरि जलाशय के कार्यों में फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि 03 दिवस के अन्दर आवश्यक 1200 नग श्रमिक कार्यस्थल पर उपलब्ध कराते हुए तीव्र गति से गुणवत्तापूर्वक शिरोपरि जलाशय के कार्यों में प्रगति लाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नही है।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यों की गुणवत्ता/प्रगति से सम्बन्धित 3203 नग एन0सी0 फर्म को उपलब्ध करायी जा चुकी है, परन्तु वर्तमान तक 2599 नग एन0सी0 (81.00 प्रतिशत) ही क्लोज की गयी है, जिसकी प्रगति काफी कम है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी0पी0आई0 से प्राप्त एन0सी0 की समीक्षा कर फर्म से अवशेष एन0सी0 को क्लोज कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही – कार्यदायी फर्म/अधिशासी अभियन्ता)

- समीक्षा बैठक में टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले गृह संयोजन को घर के बाहर ही दिया जा रहा है, साथ ही कुछ कनेक्शन के पाइप नालियों से होकर गुजर रहे है, जिससे नालियाँ चोक होने एवं लीकेज होने पर प्रदूषित जल आने

की प्रबल सम्भावना है। फर्म के प्रतिनिधि को घर के बाहर दिये गये कनेक्शन को घर के अन्दर करने एवं कनेक्शन हेतु डाले जा रहे पाइप को ठीक ढग से कनेक्शन देने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–टी0पी0आई0 / कार्यदायी फर्म)

- समीक्षा बैठक में सड़क पुर्नस्थापना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल 2334 कि0मी0 सड़क काटी गयी थी, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 2279 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापित कर दिया गया है, वर्तमान मे 55 कि0मी0 सड़क पुर्नस्थापना का कार्य अवशेष है। अभी भी सड़क पुर्नस्थापना के कार्यो की प्रगति संतोषजनक नही है। सड़क पुर्नस्थापना की शिकायतें विभिन्न स्तरो से भारी मात्रा मे प्राप्त हो रही है। जल निगम / एन0सी0सी0 ब्लाक इंचार्ज को निर्देशित किया गया कि समस्त ग्राम प्रधानों से नियमित सम्पर्क स्थापित करते हुए उनके द्वारा लिखित रूप से दी गयी कमियों का ससमय गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराते हुए अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु गत बैठक मे निर्देशित किया गया था, परन्तु बैठक मे मात्र 01 विकासखण्ड से अनुपालन आख्या प्राप्त हुई है, जो खेदजनक है। स्पष्ट निर्देश दिए जाते है कि समस्त विकासखण्डों के प्रधान से प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से अनुपालन आख्या सत्यापित कराते हुए आगामी बैठक मे निश्चित रूप से प्रस्तुत किए जाये।

(कार्यवाही–कार्यदायी फर्म / अधिशासी अभियन्ता)

- बैठक मे उपस्थित डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को क्रियाशील किया जाये तथा उन्हे पानी के दुरूपयोग रोकने, खराब पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति जन मानस को जागरूक किया जाये। साथ ही पूर्ण हुई योजनाओं पर जलकर वसूली के लिए आई0एस0ए0 के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाये।

(कार्यवाही–डी0सी0, डी0पी0एम0यू0)

- बैठक मे डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि 704 नग राजस्व ग्रामो मे एफ0टी0के0 किट वितरित कराए जाने थे, परन्तु वर्तमान तक 342 नग राजस्व ग्रामो मे एफ0टी0के0 किट वितरित कराए गए है, अवशेष 362 नग राजस्व ग्रामों मे 03 दिवस मे अवशेष एफ0टी0के0 किट वितरित कराए जाने हेतु समस्त आई0एस0ए0 संस्था के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–समस्त आई0एस0ए0 संस्था)

(सूर्य पाल गंगवार)
जिलाधिकारी
लखनऊ।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. मै0 एन0सी0सी0लि0, लखनऊ।
6. टी0पी0आई0, मै0 सेन्सिस टेक लि0, लखनऊ।
7. डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त आई0एस0ए0, लखनऊ।

जिलाधिकारी
लखनऊ।